(15)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी रामरतन शर्मा आर0ए0एस

मुकदमा नं0 02/2018

सुब्बा पुत्र मुन्शी जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी

सायल

बनाम

1. मम्मल पुत्र उम्मेद
2. शेरमौहम्द पुत्र रहमत
3. इलियास
4. कासम
5. फारूख पिसरान चावखां जाति मेवान निवासी चिनावडा तहसील पहाडी
6. राज0सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार साहब पहाडी, (भरतपुर)।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रीतम सिंह वकील सायल
श्री नसरू खाँ वकील गैरसायलान

दिनांक :– 20.08.2019

निर्णय

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत इस आशय के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 273/0.19, 180/3/0.17, 281/1/0.15, बांके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुत0 सायल के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है आराजी मुत0 पर सायल बतौर खातेदार के रूप में कब्जा काश्त है आराजी सायल को बंटवारे में हिस्से में आई थी। आराजी पर सायल शान्तिपूर्वक निरन्तर रूप से काश्त करता चला आ रहा है। बावजूद गैरसायलान कब्जे काश्त सायल में मजाहमत व मदाखलत करते रहते है तथा सायल की आराजी पर लठ्ठ व ताकत के बल पर अवैध व नाजायज अतिक्रमण कर सायल को उसकी आराजी मुत0 से बेदखल करना चाहते

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर) राज0

Scanned with OKEN Scanner

है। जिसके सबब सायल की आराजी के कुछ हिस्से की आराजी पर गैरसायलान ने जबरदस्ती लठ्ठ व ताकत के बल पर अवैध कब्जा करीब एक वर्ष पूर्व कर लिया है। जिसकी पैमाईश सायल ने कराई थी। जिसमें गैरसायलान का नाजायज कब्जा दर्शाया गया है। जबकि गैरसायलान का सायल की उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः गैरसायलान को जरिये हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द फरमाया जावें कि सायल की खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया । गैरसायलान जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये। जबाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि गैरसायल द्वारा सायल को कोई धमकी किसी प्रकार की नहीं दी गई है। और गैरसायलान द्वारा सायल की किसी भी आराजी पर कभी भी कोई कब्जा नहीं किया है। सायल ने यह प्रार्थना पत्र गैरसायल के खिलाफ गलत तथ्य अंकित कर गैरसायलान को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है। जो काबिले खारिज के है। गैरसायल ने सायल की खातेदारी की कृषि भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं किया है। सायल आराजी मुत0 पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया है उसके किस–किस खसरा नम्बर पर किस–किस व्यक्ति ने किस–किस दिशा में किस खसरा नं0 पर कब्जा नाजायज किया है। पैमाईश रिपोर्ट में यह अंकित नहीं है कि उस दिन पैमाईश टीम ने किस मुख्य बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश चालू कि और खसरा नम्बर 273 के अलावा उस दिन टीम गठित ने किस–किस नम्बरान की पैमाईश की और टीम द्वारा पडौसी काश्तकारान को पैमाईश का कोई नोटिस दिया गया हो इसका अंकन भी पैमाईश रिपोर्ट में नहीं है। गैरसायलान का सायल की आराजी मुत0से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। सायल ने यह प्रार्थना पत्र गैरसायलान की जमीन को हडपने की नियत से पेश किया है जो काबिले खारिज है। अतः प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमाया जावे।

बहस में वकील सायल ने निवेदन किया कि विवादित आराजी सायल के कब्जे काश्त व खातेदारी है जिस पर सायल का शान्तिपूर्वक कब्जा व काश्त है गैरसायलान सायल की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी में मदाखलत व मजाहमत कर जबरदस्ती लठ्ठ व ताकत के बल पर अवैध कब्जा करना चाहते है। गैरसायलान को ताफैसला मुकदमा

उपखण्ड अधिकारी
(भरतपुर) राज0

Scanned with OKEN Scanner

पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायल की कब्जे काश्त आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। बहस में वकील गैरसायलान ने निवेदन किया कि गैरसायलान का सायल की आराजी से कोई लेनादेना किसी प्रकार का नहीं है ना ही गैरसायलान ने सायल की आराजी पर कब्जा किया है सायल का अपनी आराजी पर शान्तिपूर्वक कब्जा व काश्त है। सायल द्वारा बेवजह गैरसायलान को तंग व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो काबिले खारिज के है।

हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । विवादित आराजी सायल के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिससे प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में कयास आता है एवं अपूर्णीय क्षति भी सायल को होगी। अतः प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 09.01.2018 को ताफैसला मुकदमा कन्फर्म किया जाकर गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नं0 273/0.19, 180/3/0.17, 287/1/0.15, बांके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी पर मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)